

भारत में शिक्षक-शिक्षा में नीति और नियामक परिवर्तन

भाग्य नारायण ठाकुर
व्याख्याता, शिक्षा संकाय
एल. एन. कॉलेज, भगवानपुर
वैशाली

सार:

शिक्षक-शिक्षा के संदर्भ में शिक्षकों के प्रशिक्षण पर सर्वसम्मति न होने के कारण ठोस नीति का आभाव देखा जाता रहा है। भारत में शिक्षक-शिक्षा को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) द्वारा विनियमित किया जाता है। एन.सी.टी.ई. को 1993 में वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षक-शिक्षण कार्यक्रम शुरू करने हेतु मान्यता की अपेक्षा रखने वाले संस्थानों के लिए विनियमों (मानदंड और मानक) के विकास और कार्यान्वयन के माध्यम से शिक्षक-शिक्षा के नियोजित और समन्वित विकास को प्राप्त करना है। एन.सी.टी.ई. द्वारा प्रस्तुत विनियमों की उत्पत्ति शिक्षक-शिक्षा में सुधार के परस्पर संबंधित दो राष्ट्रीय पाठ्यचर्याओं से हुई – राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा पाठ्यचर्या रूपरेखा, 2009 (एन.सी.टी.ई. 2009) और शिक्षक-शिक्षा हेतु सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित उच्च अधिकार प्राप्त जस्टिस वर्मा कमिशन (JVC) की 2012 की रिपोर्ट। भारत के शिक्षा क्षेत्र में पिछली राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986–92) और विशेष रूप से 1990 के आर्थिक सुधारों की शुरुआत के बाद से अभूतपूर्व परिवर्तन हुए हैं। स्कूली शिक्षा में नीति-संबंधी दो प्रमुख घटनाक्रम हुए – बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (RTE) और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 (NCF) (राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, 2005)।

Key words: शिक्षक-शिक्षा, प्रशिक्षण, NCTE, NCFTE, JVC, पाठ्यचर्या

शिक्षक-शिक्षा विश्व स्तर पर सतत चर्चा का विषय रहा है। शिक्षक-शिक्षा के संदर्भ में शिक्षकों के प्रशिक्षण पर सर्वसम्मति न होने के कारण ठोस नीति का आभाव देखा जाता रहा है। शिक्षक प्रशिक्षण की अवधारणा पर कई देशों में शिक्षक-शिक्षा के मानकों, सामग्री और प्रकृति पर व्याप्त असहमति के बारे में चर्चा की जाती रही है। साथ ही सामाजिक और शैक्षिक आकांक्षाओं के बदलते परिदृश्य और वैश्विक “ज्ञान अर्थव्यवस्था” की मांगों को पूरा करने के लिए शिक्षक गुणवत्ता को अनिवार्य माना जा रहा है। परिणामस्वरूप निति निर्धारण के क्रम में शिक्षक-शिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। शिक्षक-शिक्षा पर सीधा असर डालने वाले नीतिगत निर्णय केवल एक निहित अभ्यास नहीं हैं वरन् ये अत्यधिक महत्वपूर्ण और मौलिक रूप से राजनीतिक हैं।¹ यह विश्लेषण भारतीय शिक्षक शिक्षा नीति और नियामक संदर्भों पर भी लागू होता है।

भारत में शिक्षक-शिक्षा को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) द्वारा विनियमित किया जाता है। एन.सी.टी.ई. को 1993 में वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षक-शिक्षण कार्यक्रम शुरू करने हेतु मान्यता की अपेक्षा रखने वाले संस्थानों के लिए विनियमों (मानदंड और मानक) के विकास और कार्यान्वयन के माध्यम से शिक्षक-शिक्षा के नियोजित और समन्वित विकास को प्राप्त करना है।

1993 में वैधानिक दर्जा प्राप्त होने के उपरांत एन.सी.टी.ई. ने पहली बार संपूर्ण भारत में शिक्षक-शिक्षण कार्यक्रम शुरू करने हेतु मान्यता की अपेक्षा रखने वाले संस्थानों के लिए विनियम (मानदंड और मानक) 1993 प्रस्तुत किए। 2014 तक एन.सी.टी.ई. के विनियम (मानदंड और मानक) में क्रमशः 2005, 2007 और 2009 में तीन बार परिवर्तन कर अद्यतन किया गया। प्रत्येक विनियम (मानदंड और मानक) पिछले से भिन्न था। एन.सी.टी.ई. द्वारा नए नियमों को विकसित करने के कारणों को सार्वजनिक रूप से नहीं बताया गया। हालांकि, 2014 के विनियमों के चौथे सेट को लेकर सार्वजनिक रूप से काफी चर्चा की गई थी। जून 2017 में शिक्षक-शिक्षण संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों की शैक्षणिक योग्यता को लेकर एन.सी.टी.ई. ने पुनः नए मापदंड प्रस्तुत किए।

एन.सी.टी.ई. द्वारा प्रस्तुत विनियमों की उत्पत्ति शिक्षक-शिक्षा में सुधार के परस्पर संबंधित दो राष्ट्रीय पाठ्यचर्याओं से हुई – राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा पाठ्यचर्या रूपरेखा, 2009 (एन.सी.टी.ई. 2009) और शिक्षक-शिक्षा हेतु सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित उच्च अधिकार प्राप्त जस्टिस वर्मा कमिशन (JVC) की 2012 की रिपोर्ट।² भारत के शिक्षा नीति में बड़े बदलाव की पृष्ठभूमि तैयार करने में इन दोनों की भूमिका अतिमहत्वपूर्ण हैं। इनमें से दो महत्वपूर्ण बदलाव नीचे दिए गए हैं।

सबसे पहले, स्कूली शिक्षा प्रणाली में गुणवत्ता की चुनौतियों ने शिक्षक-शिक्षा में संरचनात्मक सुधारों को अनिवार्य बना दिया। भारत के शिक्षा क्षेत्र में पिछली राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986–92) और विशेष रूप से 1990 के आर्थिक सुधारों की शुरुआत के बाद से अभूतपूर्व परिवर्तन हुए हैं। इस अवधि में, सामाजिक और आर्थिक आकांक्षाओं में बड़े पैमाने पर वृद्धि हुई जिससे भारत के असमान सामाजिक ताने-बाने में शिक्षा की मांग में कई गुना वृद्धि हुई। इस प्रकार सभी स्तरों पर शिक्षा का विस्तार और विविधीकरण हुआ, साथ ही साथ, विशेषकर विद्यालय स्तर पर, शिक्षा में गुणवत्ता और समानता के बारे में चिंताएँ भी बढ़ीं। इस संदर्भ में, स्कूली शिक्षा में नीति-संबंधी दो प्रमुख घटनाक्रम हुए – बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (RTE) और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या

की रूपरेखा 2005 (NCF)। एक तरफ, आर.टी.ई. का उद्देश्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 21A, जो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा को न्यायसंगत अधिकार बनाता है, को क्रियान्वित करना है। दूसरी ओर, NCF 2005 शैक्षणिक/पाठ्यक्रम के अनुभवों के उन घटकों को रेखांकित करता है जो प्राथमिक स्कूलों में शैक्षिक गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। दोनों दस्तावेज प्राथमिक कक्षाओं में बाल-केंद्रित वातावरण पर बल देते हैं। इस संबंध में, NCFTE और JVC रिपोर्ट चार्ट स्कूलों में पठन-पाठन और सिखनें की स्थिति में सुधार करने के लिए देश में शिक्षक-शिक्षा से संबंधित सुधार को दर्शाते हैं। ये दोनों रूप-रेखाएँ लंबे समय से लंबित देश की स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने हेतु शिक्षक-शिक्षा प्रक्रिया में सुधार को गति देने की चिंता को निरूपित करती हैं।

दूसरा, एनसीएफटीई और जेवीसी के रिपोर्ट में व्यक्त की गई चिंताएँ न केवल संरचना संबंधी हैं, बल्कि उन नियामक मुद्दों को लेकर भी हैं जिनके कारण वाणिज्यिक हितों (और गुणवत्ता) के प्रबंधन में जटिलता है। इन दो रूप-रेखाओं को विशेष रूप से इस तथ्य के आलोक में निरूपित किया जा सकता है कि आज के समय में लगभग 92 प्रतिशत शिक्षक-शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थान निजी क्षेत्र के हैं। डिप्लोमा कार्यक्रम प्रदान करने वाले लगभग 88 प्रतिशत शिक्षक-शिक्षा संस्थान और स्नातक स्तर पर शिक्षक-शिक्षा की पेशकश करने लगभग 96 प्रतिशत शिक्षक-शिक्षा संस्थान निजी क्षेत्र में हैं³। JVC रिपोर्ट का गठन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, विशेष रूप से, महाराष्ट्र में 291 निजी शिक्षक-शिक्षा कॉलेजों को मान्यता देने के मामले के संदर्भ में किया गया था। इस समिति का प्रमुख कार्य “शिक्षकों की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार पर असर डालने वाले मुद्दों की जांच करना” तथा एन.सी.टी.ई. के विनियामक कार्यों में सुधार हेतु सिफारिश प्रस्तावित करना था।⁴

जेवीसी के रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद, सर्वोच्च न्यायालय ने एक कार्य योजना विकसित करने के लिए एक समिति का गठन किया जिसका कार्य सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं और समय-सीमा की रूपरेखा तैयार करना था। इस कार्य योजना के बाद, एन.सी.टी.ई. ने विभिन्न सिफारिशों पर काम करने के लिए विभिन्न शिक्षक-शिक्षा कार्यक्रमों के लिए पाठ्यक्रम रूपरेखा तैयार करने के लिए विभिन्न समितियों सहित कई उपसमितियों का गठन किया। इसका परिणाम NCTE के विनियम (मानदंड और मानक), 2014 के रूप में सामने आया। NCFTE और JVC रिपोर्ट में सुझाए गए प्रमुख सुधारों का सारांश, जिसे NCTE उप-समितियों द्वारा भी अपनाया गया था, नीचे प्रस्तुत किया गया है।

सुधारों का व्यापक योगदान:

दोनों, NCFTE और JVC रिपोर्ट, की सिफारिशें मूल रूप से देश में शिक्षक-शिक्षा के व्यावसायिकरण की कल्पना करते हैं। शिक्षक-शिक्षा कार्यक्रमों के लिए दोनों ही दस्तावेजों की सिफारिशों में, विशेष रूप से पाठ्यक्रम के संबंध में कई समानताएँ हैं। वास्तव में, JVC रिपोर्ट की सिफारिश है कि NCFTE को पाठ्यक्रम सुधारों के लिए मार्गदर्शक के रूप में लिया जाएगा। दोनों ही दस्तावेज मोटे तौर पर उन परिवर्तनों का सुझाव देते हैं जिन्हें नीचे वर्णित किया गया है।

पाठ्यक्रम में सुधार: NCFTE का मुख्यउद्देश्य ‘प्राथमिक, माध्यमिक और स्नातकोत्तर स्तर पर शिक्षक-शिक्षा के संरचनात्मक पहलुओं में परिवर्तन को दिशा प्रदान करना’ था। यह रूपरेखा पाठ्यक्रम में सुधार, शिक्षण-अधिगम और व्यावसायिक अनुशासन में सुधार का प्रस्ताव करते हुए देश में शिक्षक-शिक्षा की रूपरेखा में बदलाव को परिलक्षित करती है। पाठ्यक्रम सुधारों के लिए प्रस्तावित मुख्य सिद्धांत निम्नलिखित थे:

- (i) पाठ्यक्रम के लिए समग्र दृष्टिकोण
- (ii) शिक्षा पर सिद्धांत और मूलभूत दृष्टिकोण के साथ जुड़ाव पर जोर
- (iii) भविष्य के शिक्षकों के लिए चिंतनशील, मानवीय और पेशेवर तैयारी
- (iv) लंबी और गहन इंटर्नशिप/स्कूल अनुभव
- (v) शिक्षण को बाल-केंद्रित तरीके से आयोजित करने के लिए शिक्षक तैयार करना
- (vi) विभिन्न स्कूल स्तरों के लिए प्रशिक्षण में विशिष्टता और
- (vii) अंतर्विषय वातावरण में शिक्षक-शिक्षा कार्यक्रमों का स्थान।

पाठ्यक्रम के विचारों के विवरण और स्वरूप एन.सी.टी.ई. के विभिन्न उपसमितियों द्वारा पाठ्यक्रम डिजाइन के लिए उन्हें दिए गए विषयों के संदर्भ में संपादित किए गए थे। बहुत हद तक इन उप समितियों के प्रस्तावों में JVC और NCFTE में देखे गए शैक्षणिक नेटवर्क के प्रतिनिधित्व को यथावत रखा गया।

शिक्षक-शिक्षा कार्यक्रमों की बढ़ी हुई अवधि : NCFTE की अनंशंसाओं से दो प्रकार की प्रारंभिक शिक्षक-शिक्षा कार्यक्रमों की संभावनाएँ बनीं :

- (i) प्रारंभिक और माध्यमिक विद्यालय स्तरों पर प्रारंभिक शिक्षक तैयार करने के लिए दो वर्षीय दूसरी स्नातक डिग्री का मॉडल, और
- (ii) दोनों स्तरों के लिए चार वर्षीय (या उससे अधिक) एकीकृत स्नातक डिग्री का मॉडल।

इसके अलावा, JVC दो साल के मास्टर ऑफ एजुकेशन कार्यक्रमों की आवश्यकता पर भी बल देता है और NCFTE उच्च माध्यमिक स्कूल के शिक्षकों और शिक्षक-शिक्षकों के एक विशेष कैडर को विकसित करने की दिशा में तीन साल की अवधि के विषेश पाठ्यक्रमों की

सिफारिश करता है। इन विनियामक परिवर्तनों से पहले, बैचलर्स और मास्टर्स ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम की अवधि एक-एक वर्ष थी। 2014 के बाद, इन कार्यक्रमों की अवधि को पूरे देश में दो-वर्ष तक बढ़ाया गया था। यह सिफारिश इस धारणा पर आधारित है कि व्यावसायिक शिक्षा के बृहत उद्देश्य को देखते हुए लंबी अवधि के कार्यक्रम पेशेवर शिक्षकों को तैयार करने के लिए पर्याप्त समय और अवसर प्रदान करेंगे।

विनियामक तंत्र का सुधार : NCTE के कार्य करने के तरीकों को पुनर्निर्धारित करने हेतु JVC ने अपनी अनुशंसा में व्यापक सलाह प्रस्तुत किए। इनमें NCTE अधिनियम, 1993 में संशोधन, NCTE के भीतर एक सतर्कता प्रकोष्ठ स्थापित करना, चेयरपर्सन का कार्यकाल और NCTE काउसिल की नियुक्ति, और मानदंडों और मानकों में बदलना करना शामिल है। एन.सी.टी.ई. के विभिन्न उपसमितियों द्वारा डिजाइन किए गए विभिन्न शिक्षक-शिक्षा कार्यक्रमों के मानदंड और मानक के साथ-साथ नियामक परिवर्तनों के माध्यम से शुरू की गई बहस चर्चाओं का केंद्र बन गया। इन चर्चाओं ने नियामक संरचना, बदलाव और निर्णय लेने की प्रक्रिया की जटिलता को सामने लाया।

शिक्षक-शिक्षा कार्यक्रमों को अपग्रेड करना : JVC और NCFTE दोनों ने सिफारिश की कि पूर्व-सेवा गुणवत्ता के मुद्दों को हल करने के लिए, बड़े पैमाने पर डिप्लोमा कार्यक्रमों के माध्यम से पेश किए जा रहे शिक्षक-शिक्षा (विशेष रूप से प्राथमिक स्तर) कार्यक्रमों को डिग्री कार्यक्रमों के स्तर पर अपग्रेड किया जाए। इसके लिए NCFTE और JVC का कथित तर्क यह था कि चूंकि बड़ी संख्या में वर्तमान संस्थान स्टैंड-अलोन संस्थान हैं, इसलिए वे अंतःविषय पारिस्थितिकी तंत्र से अलग-थलग रहते हैं जो केवल विश्वविद्यालय में प्रदान किया जा सकता है। इस सिफारिश ने NCTE और केंद्र और राज्य सरकारों दोनों के लिए कठिन चुनौती प्रस्तुत की क्योंकि इस तरह के कार्यक्रमों का उन्नयन (ज्यादातर निजी संस्थानों द्वारा) संरचनात्मक परिवर्तनों के लिए किया जाता है।

शिक्षक शिक्षा नीति : राजनीतिक और अंतर्विरोध

विभिन्न उपसमितियों के कार्यों के माध्यम से उपरोक्त सुधारों से संबंधित विनियमों के क्रियान्वयन के प्रत्येक चरण में प्रणालीगत सुधार और शिक्षक-शिक्षा के भविष्य के निर्देशों⁵ की प्रकृति के बारे में तीखी बहस हुई। एक ओर, इन बहसों ने शिक्षक-शिक्षा में व्याप्त व्यावसायिक हितों और शिक्षक-शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डालनेवाले NCTE के नियमन की ओर इशारा किया तो दूसरी ओर, इन बहसों ने यह भी प्रदर्शित किया कि शिक्षक-शिक्षा में विनियमन और नीति निर्धारण कई हित समूहों (जैसे शिक्षक-शिक्षकों, निजी क्षेत्र और सरकारी संस्थाओं) के कारण एक विवादित कार्यक्षेत्र बना रहा है, जिसे अधिक नियंत्रण और अधिक से अधिक पुखर प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है।⁶

नियामक निर्णयों की प्रक्रिया पर निकली बहस अध्ययन के क्षेत्र के रूप में शिक्षक-शिक्षा या शिक्षा के लिए मौलिक चिंताओं के इर्द-गिर्द घूमती हैं। जैसे – शिक्षा की नीव कैसे बनाई जाती है? शिक्षक-शिक्षा कैसे अध्ययन के अन्य क्षेत्रों से अलग है? शिक्षक-शिक्षा में पेशेवर घटक को कैसे परिभाषित किया जाता है? शिक्षक-शिक्षा कार्यक्रम किस संस्थागत संदर्भ में होना चाहिए? इन्हें कैसे और किसके द्वारा सिखाया जाना चाहिए? ये प्रश्न मुख्य रूप से चयनित शिक्षक-शिक्षा कार्यक्रमों (NCTE 2014b) के लिए संशोधित मान्यता मानदंड और प्रक्रियाओं के लिए उप-समिति की रिपोर्ट पर व्यापक असहमतियों से उत्पन्न हुए थे, और आगे B.E.I.Ed. और D.E.I.Ed. के लिए शिक्षकों की आवश्यकता और उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता संबंधी समिति की रिपोर्ट पर प्रकाश डाला (NCTE 2014c)।

जबकि इन मुख्य प्रश्नों पर सार्वजनिक क्षेत्र में कई तर्क दिए गए थे, केवल कुछ ने संतुलित और ज्ञानप्रकर तरीके से मूल तर्कों को स्पष्ट किया। कुछ लोगों ने तर्क दिया कि शिक्षा के क्षेत्र को परिभाषित करने के लिए सामान्य विषयों के अध्ययन केंद्रीय हैं और इस कारण शिक्षक-शिक्षा की धूरी हैं। शिक्षा को जब इस अर्थ में ग्रहण किया जाए तो यह जीवन, मनुष्य और समाज के बारे में बहुत सारे मौलिक प्रश्नों को जन्म देती है। ये इसके मूलभूत प्रश्न हैं। विभिन्न विषयों से प्राप्त अंतर्दृष्टि उन प्रश्नों पर चर्चा के लिए आवश्यक वैचारिक आधार बन जाती है। इन सवालों के समाधान के लिए जो ज्ञान जरूरी है, वह आधारभूत है, लेकिन शिक्षा के केंद्रीय सरोकारों से मार्गदर्शक सिद्धांत निकलते हैं . . .⁷ दूसरों ने व्यावसायिक दक्षताओं के हाशिए पर होने के बारे में चिंता व्यक्त की। परिप്രेक्ष्य निर्माण अभ्यास में विभिन्न मूलभूत क्षेत्रों के योगदान को स्वीकार करते हुए इस तथ्य को भी समझना चाहिए कि शिक्षकों के एक पेशेवर के रूप में तैयारी का सार चिंतनशील अभ्यास है जिसमें शिक्षक शिक्षा की मुख्य प्रक्रियाओं के साथ अनुभव प्राप्त करता है।

इन चर्चाओं ने अलग-अलग मौकों पर अलग-अलग रूप लिए। इन चर्चाओं का आधार कुछ प्रश्नों, जैसे – शिक्षक-शिक्षा के पाठ्यक्रम के मूल में क्या है? क्या प्रारंभिक शिक्षक तैयारी और आगे स्नातकोत्तर तैयारी (शिक्षा के परास्नातक) एक शिक्षक-शिक्षक के लिए आवश्यक आवश्यकताएँ हैं? – आदि पर एकमत की कमी रही है। जहाँ शिक्षण की व्यवसायिक स्थिति और अन्य सहायक प्रक्रियाओं जैसे शैक्षिक नेतृत्व, पाठ्यक्रम डिजाइन, पाठ्यपुस्तक विकास आदि के बारे में सर्वसम्मति दिखाई दी वहीं भविष्य के पेशेवर शिक्षक की तैयारी को लेकर किसी माउंज पर सहमति नहीं बन सकी। ये चर्चा शिक्षा के क्षेत्र के लिए कोई नई नई बात नहीं हैं और यह एक अनुशासन या ज्ञान के क्षेत्र⁸ के रूप में शिक्षा की परिवेशगत पहचान से स्वाभाविक रूप से संबंधित हैं।

शिक्षक-शिक्षकों के लिए मास्टर ऑफ एजुकेशन की डिग्री की आवश्यकता के साथ, शिक्षक-शिक्षा के विभिन्न पक्षकारों के बीच असहमति का प्रमुख बिंदु शिक्षक और/या शिक्षक-शिक्षक बनने के लिए न्यूनतम पात्रता को पूरा करने में लगानेवाला समय था जिसे एक वर्ष की जगह दो वर्ष किया गया था।

शिक्षक-शिक्षा कार्यक्रमों की अवधि बढ़ाने की JVC की अनुशंसा के परिणामतः इन आशंकाओं को बल मिला कि शिक्षक-शिक्षा की आकांक्षा रखने वालों की संख्या में गिरावट होगी। इन मुद्दों के मद्देनजर, यह तर्क दिया गया कि इस पूरी बहस और चर्चा में 'विश्वविद्यालयों में नौकरियों को हासिल करने की राजनीति' है।⁹

इन बहसों के अलावा, JVC की सिफारिशों ने कई मुद्दों या चुनौतियों को जन्म दिया। इनमें से दो प्रमुख मुद्दे हैं –

(क) विश्वविद्यालय स्तर पर स्टैंड-अलोन संस्थानों/कार्यक्रमों का उन्नयन और

(ख) पाठ्यक्रम संशोधन।

जैसा कि अनुमान लगाया जा सकता है, विश्वविद्यालय स्तर तक शिक्षक-शिक्षा कार्यक्रम संचालित करने वाले संस्थानों का उन्नयन सरल प्रक्रिया नहीं होगी। यह विशेष रूप से इसलिए है क्योंकि शिक्षक-शिक्षा प्रणाली विभिन्न संस्थानों और संरचनाओं (उदाहरण के लिए, परीक्षा बोर्डों और शिक्षक भर्ती प्रणालियों के साथ) के तंत्र का एक हिस्सा मात्र है, और JVC रिपोर्ट का प्रस्ताव है कि इस तंत्र और संरचनाओं में पूर्ण सुधार की आवश्यकता होगी। साथ ही, विभिन्न राज्यों में शिक्षक-शिक्षा प्रणाली और नेटवर्क में महत्वपूर्ण बदलाव को लागू करने के लिए एक मानक प्रक्रिया को अपनाना कठिन कार्य है।

इस तथ्य की ओर भी ध्यान देना भी आवश्यक है कि जहाँ सरकार द्वारा वित्त पोषित शिक्षक-शिक्षा संस्थानों में उन्नयन चरणबद्ध तरीके से प्राप्त किया जा सकता है, वहीं निजी संस्थानों में उन्नयन चुनौतीपूर्ण है और इस कार्य की जटिलता का अनुमान ऐसे लगाया जा सकता है कि पूरे देश में सरकार द्वारा वित्त पोषित शिक्षक-शिक्षा संस्थानों की तुलना में निजी या स्व-वित्त पोषित संस्थानों की संख्या बहुत बड़ी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह पाठ्यक्रम के विकास और शिक्षण के लिए मानव संसाधन के उन्नयन के साथ ही संस्थानों के उन्नयन के साथ-साथ पूरे तंत्र को बदलाव की चुनौतियों का सामना करना होगा। और इन परिवर्तनों में काफी लागत निहितार्थ है।

यदि JVC और NCFTE की अनुशंसाओं के व्यवहारिक पक्ष को देखें तो इसके अधिकांश प्रस्तावित सुधार (विशेष रूप से NCFTE में प्रस्तावित) दिल्ली विश्वविद्यालय के अभिनव बैचलर ऑफ एलीमेंट्री एजुकेशन और इसके संस्थागतीकरण की प्रक्रिया के अनुभवों पर आधारित हैं।¹⁰ इस बात पर भी बहस हुई कि इस मॉडल को पूरे देश में, इस चर्चा के बगैर लागू किया जा रहा है कि एक साथ पूरे देश में देश में गुणात्मक रूप से असमान उच्च शिक्षा के संदर्भ को देखते हुए राष्ट्रीय स्तर पर इस मॉडल की उपयोगिता कैसे सिद्ध होगी। इस मॉडल को NCTE के द्वारा वर्ष 2014 में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता मानदण्ड तथा क्रियाविधि) विनियम के रूप में पूरे देश में लागू किया गया। लेकिन छ: वर्ष बीत जाने पर भी इस नए मॉडल के लागू होने से शिक्षक-शिक्षण व्यवस्था में कितना सुधार हुआ है यह अध्ययन का विषय है। इसी बीच NCF-2019 भी लागू होने की प्रक्रिया में है और यह निश्चित रूप से वर्तमान शिक्षक-शिक्षण व्यवस्था पर अपना प्रभाव छोड़ेगा।

संदर्भ-सूचि

1. Cochran-Smith, Marilyn (2013): "Introduction: The Politics of Policy in Teacher Education: International Perspectives," The Educational Forum, Vol 77, No 1, pp 3-4.
2. Ministry of Human Resource Development (2012): "Vision of Teacher Education in India: Quality and Regulatory Perspective," Report of the High-Powered Commission on Teacher Education constituted by the Hon'ble Supreme Court of India"
3. Menon, Shyam B. and Mathew, Rama (2016): "Teacher Education in Universities: A Case from India," In Bob Moon (Ed), Do Universities have a Role in the Education and Training of Teachers? An International Analysis of Policy and Practice (pp 149-68), Cambridge: Cambridge University Press.
4. Ministry of Human Resource Development (2012): "Vision of Teacher Education in India: Quality and Regulatory Perspective," Report of the High-Powered Commission on Teacher Education constituted by the Hon'ble Supreme Court of India"
5. Dhankar, Rohit (2014): "How Important is M. Ed. Degree to be a Teacher Educator?" Thinking Aloud, June 10, <http://rohitdhankar.com/2014/06/10/how-important-is-an-m-ed-degree-to-be-a-teacher-educator/>
6. Menon, Shyam B. and Mathew, Rama (2016): "Teacher Education in Universities: A Case from India," In Bob Moon (Ed), Do Universities have a Role in the Education and Training of Teachers? An International Analysis of Policy and Practice (pp 149-68), Cambridge: Cambridge University Press.
7. Dhankar, Rohit (2014): "How Important is M Ed Degree to be a Teacher Educator?" Thinking Aloud, June 10, <http://rohitdhankar.com/2014/06/10/how-important-is-an-m-ed-degree-to-be-a-teacher-educator/>
8. Sarangapani, Padma (2011): "Soft Disciplines and Hard Battles," Contemporary Education Dialogue, Vol 8, No 1, pp 67-84.

9. Menon, Shyam B. and Mathew, Rama (2016): "Teacher Education in Universities: A Case from India," In Bob Moon (Ed), Do Universities have a Role in the Education and Training of Teachers? An International Analysis of Policy and Practice (pp 149-68), Cambridge: Cambridge University Press.
10. Setty, Rohit (2014): "Dialogism in India's New National Curriculum Framework for Teacher Education," Contemporary Education Dialogue, Vol 11, No 1, pp 67-94